केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉप्म्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 23.03.2017

सीबीआई ने 61 लाख रू. (लगभग) की पुरानी नोटो को कथित रूप से जमा करने के कारण इटारसी रेलवे स्टेशन के कर्मी एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने इटारसी रेलवे स्टेशन के बुकिंग क्लर्क ; इटारसी जिला होशांगाबाद (मध्य प्रदेश) की प्राइवेट फर्म एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि दिनांक 08.11.2016 को भारत सरकार की अधिसूचना, जिससे 1000 रू. एवं 500 रू. की पुरानी मुद्रा नोटों को दिनांक 09.11.2016 से अवैध मुद्रा घोषित हुई, इसके जारी होने के पश्चात, इटारसी की प्राइवेट फर्म (खाद्य सेवाओं में संलग्न) ने इटारसी रेलवे स्टेशन के बुकिंग क्लर्क एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित षड़यंत्र में हिस्सा लिया एवं इटारसी व बीना रेलवे स्टेशनों की इकाईयों हेतु रेलवे खाता में अग्रिम वार्षिक लाइसेन्स शुल्क के तौर पर दिनांक 09.11.2016 को 61 लाख रू. (लगभग) से भी ज्यादा की नकद धन राशि पुरानी मुद्रा के नोटों में जमा किया। आरोपियों ने सरकार की अधिसूचना के उल्लंघन में विमुद्रीकृत मुद्रा के रूप में लाइसेन्स शुल्क स्वीकार कर सरकार को धोखा दिया।

रेलवे बुकिंग क्लर्क एवं इटारसी जिला होशांगाबाद (मध्य प्रदेश) की उक्त प्राइवेट फर्म के मालिक के आवासीय तथा कार्यालयी परिसरों सहित चार स्थानों पर तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

****